

>

Title : Need to review the rate of honorarium to cooks preparing mid-day meal in the country.

श्री नारायण सिंह अग्रलाले (राजनगद) : सभापति मठोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षात्मकों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को पोषण आहार दिया जाना है। यह योजना 75 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। महंगाई और अन्य कारणों से खायान सामग्री की दरों पर समय-समय पर उत्तर योजना की शिक्षा में वृद्धि होती रहती है, परन्तु ज्यधिकर पौष्टिक मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोईयों को मात्र एक छजार रूपए ही मानदेय दिया जाता है, जबकि उत्तर योजना के किंवदन्तीयन में रसोईयों की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

सभापति मठोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की मनरेगा योजना में भी प्रतिटिन मजदूरी 122 रुपए है, जबकि मध्यान्ह भोजन के रसोई को लगभग 33 रुपए प्रतिटिन ही दिया जाता है, यह कर्त्ता से भी न्यायोचित नहीं है। देश के प्रत्येक जिले में जिला कलौवटर के यहां कुशल/अकुशल दैनिक पेतन भोजी एवं अन्य मजदूरों की प्रतिटिन की मजदूरी की दर निर्धारित है, जो कि उत्तर राज्य के श्रम विभाग के मापदंडों के अनुरूप होती है। लेकिन वर्तमान में मध्यान्ह भोजन के रसोईयों के नाम से जिला कलौवटर के पास कोई गाइडलाइन नहीं है।

सभापति मठोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि प्रत्येक राज्य सरकारों को इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएं कि मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोईयों के मानदेय का भुगतान कम से कम उस जिले में प्रवतित कलौवटर दर के अनुरूप किया जाए।

MR. CHAIRMAN : Shri Mohinder Kumar Kaypee.

It is a State subject, you can just make a mention.